1– कन्हैयॉलाल पिता कजोड धाकड निवासी केरपुरा तह0 बेगू
2– मु. रूकमाबाई पत्नि कन्हैयॉलाल धाकड निवासी केरपुरा तह0 बेगॅू
वादीगण

बनाम

1– मु. श्रृंगारी पिता हीरा भील निवासी लक्ष्मीपुरा हाल पत्नि बाबर भील निवासी खातीखेडा तह. व जिला चितौडगढ़
2– मु.शांती पिता हीरा भील निवासी लक्ष्मीपुरा तह. बेगॅू
3– मु. रूकमाबाई पत्नि नगजीराम भील निवासी लक्ष्मीपुरा तह. बेगॅू
4– उदयराम पिता रूपा भील निवासी सारण तह0 बेगॅू
5–शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली तह. बेगॅू
6– श्रीमान भूमिधारी अधिकारी जरिये तहसीलदार सा. बेगॅू
7– श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जिला चितौडगढ जरिये प्रतिनिधी राज्य सरकार
प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक :– 19.09.2023

निर्णय वाद अ0धा0 53–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से वाद पत्र अ.धा. 53 राज.काश्त. अधि. के तहत अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा लक्ष्मीपुरा प.ह. कैरपुरा तह. बेगॅू में स्थित है, जिसके खाता संख्या 78 होकर आहराजी नं. 239 रकबा 0.2500 हैक्टर बीड, आराजी संख्या 245 रकबा 0.7200 हैक्टर चाही 3 चाह नं. 250, आराजी सं. 247 रकबा 1.27 हैक्टर बीड आराजी संख्या 250 रकबा 0.6500 हैक्टर बा.च. कुल किता– 4 कुल रकबा 2.89 हैक्टर स्थित है।

यह कि उक्त आराजीयात में से आराजी नं. 247 विक्रय से भैरूलाल पिता गोपीलाल मीणा और रतनी पत्नि भैरूलाल जी मीणा निवासी नाहरगढ के नाम दर्ज की गई तथा दिनांक 31.05.2018 को संपरिवर्तन आदेश से प्राथमिक लघु उद्योग डेयरी औद्यौगिक प्रयोजनार्थ दज्र की गई जिसमें से 0.009 हैक्टर रास्ता बिलानाम मार्गाधिकार दर्ज होकर तत्पश्चात शेष हिस्सा बिकाव से इन्तकाल नं. 405 दिनांक 31.05.2018 को आराजी नं. 247मी. रकबा 1.18 हैक्टर वादीगण के नाम 1/2–1/2 हक हिस्से औद्योगिक प्रयोजनार्थ खातेदारी में दर्ज रेकार्ड की गई। जिस पर वादीगण अपने उक्त हक हिस्सा अनुसार मौके पर बाहमी तौर बंटवाडा कर अपने हक हिस्से पर काबिज होकर निरन्तर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत बंटवाडा नहीं होने के कारण आए दिन सीमा संबंधी व मेर पाली व भूमि की किस्म व लगान को लेकर आपसी विवाद करते रहते है और हर समय लउाई झगडा करने पर आमादा रहते हे। इसलिए वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को तहसील में चलकर बंटवाडा करने को कहा लेकिन उन्होने मना कर दिया इसलिए उक्त भूमि का हक हिस्से व मौके पर कब्जे अनुसार बंटवारा करने हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

यह कि वादीगण का उक्त विवादित आराजी [illegible] रकबा 1.18 हैक्टर सम्पूर्ण औद्यौगिक प्रयोजनार्थ खातेदारी हक में दर्ज रेकार्ड [illegible] उसी अनुसार वादीगण का हक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जे अनुसार बंटवारा किया जाकर [illegible] पृथक पृथक कर अलग अलग दर्ज रेकार्ड किया जाना न्याहीत में [illegible] दिनांक 2[illegible]2019 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को तहसील में चलकर बंट[illegible] कराने को कहा ले[illegible] करने से पैदा होकर हर रोज वर्तमान है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:34:56 IST
Reason: SelfAttested

यह कि खातेदार मु. मांगी लाल ... तथा प्रति.सं. 3 का हक हिस्सा बैंक के रहन 1व 2 उसकी बहिने ही है जो वाद में पक्षकार है तथा प्रति.सं. 3 का हक हिस्सा बैंक के रहन होने से प्रति. सं. 5 व प्रति. 6 व7 वाद में आवश्यक पक्षकार भूमिधारी व प्रतिनिधी राजसीान सरकार होन से पक्षकार बनाया गया है। अतः श्रीमान से वादीगण निम्न अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैः—

क— कि वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वाद वर्णित आराजी में वादीगण का खाता संख्या 78 की आराजी नं. 247मी. रकबा 1.18 हैक्टर औद्योगिक प्रयोजनार्थ खातेदारी में वादी सं. 1 एवं वादीसं.2 के 1/2—1/2 दर्ज हक हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन किया जाकर वादीगण का खाता पृथक पृथक दर्ज रेकार्ड किंया जावें।

ख— कि अन्य कोई अनुतोष जो बहक वादीगण हो व विरूद्ध प्रतिवादीगण हो प्रदान किया जावें।

उपरोक्त वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । पत्रावली में प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय मे उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। पत्रावली मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही आदेश होने के उपरान्त वादीगण की ओर से मुख्य परिक्षण साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र वादी कन्हैयॉलाल व गवाह प्यारचंद्र पिता मांगीलाल लुहार के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये, वादी कन्हैयॉलाल ने अपने बयान दिनांक 23.01.2023 को कलमबद्ध कराते हुए पत्रावली मे प्रस्तुत किए गये दस्तावेज को प्रदर्श कराया जिसमें वादी ने नकल नक्शाट्रेस प्रदर्श—1 व नकल जमाबंदी प्रदर्श—2 अंकित कर अपना बयान पूर्ण किया। पत्रावली में साक्ष्य वादी की पूर्ण होने के पश्चात अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया । अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र के अनुसार अपनी बहस निवेदन करते हुए कहा कि वादीगण का खाता संख्या 78 की आराजी संख्या 247मी. रकबा 1.18 हैक्टर भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ खातेदारी में वादी सं. 1 एवं वादी सं. 2 के 1/2—1/2 दर्ज हक हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन किया जाकर वादीगण का खाता पृथक पृथक दर्जरेकार्ड किया जावें।

अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बस सुने जाने के पश्चात पत्रावली का हमारे द्वारा गहन अवलोकन किया गया प्रकरण मे प्रस्तुत प्रदर्श—2 नकल जमाबंदी मौजा लक्ष्मीपुरा प.ह. कैक्रपुरा का अवलोकन किया जिसमें पटवारी हल्का केरपुरा द्वारा जमाबंदी पर लालस्याही से अंकन किया हुआ है कि ना.सं. 405 दिनांक 31.5.2018 बिकाव से आराजी संख्या 247 मी. रकबा 1.18 हैक्टर किस्म औद्यौगिक (प्राथमिक लघु औद्योगिक डेयरी) प्रयोजनार्थ पर भैरूलाल पिता गोपीलाल रतनीबाई पत्नि भैरूलाल मीणा सा.नाहरगढ के बजाय श्री कन्हैयॉलाल पिता कजोड लाल 1/2 रूकमाबाई पत्नि कन्हैयॉलाल 1/2 धाकड सा. केरपुरा का नाम दर्ज हुआ है। वादी द्वारा उक्त आराजीयात में आराजी संख्या 247 मी. रकबा 1.18 हैक्टर किस्म औद्यौगिक (प्राथमिक लघु औद्यौग डेयरी) खातेदारी में वादी सं. 1 व 2 के 1/2—1/2 दर्ज हक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन कराना चाहते है। जिस आराजीयात का विभाजन वादीगण वादी सं. 1 व वादी सं. 2 के मध्य 1/2—1/2 हक से करवाना चाहते है वह भूमि जरिये नामान्तरण संख्या 403 दिनांक 31.05.2018 से संपरिवर्तन आदेश से आराजी संख्या 247रकबा 1.27 हैक्टर किस्म बीड मे रकबा 1.180 हैक्टर किसम औद्यौगिक (प्राथमिक लघु उद्यौग डेयरी) प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तन हो चुकी है। इस न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत केवल कृषि आराजीयात के मामलो को सुनने का ही अधिकार प्राप्त है, जैसा कि वाद पत्र में अधिवक्ता वादी द्वारा यह मामला अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया है विभाजन किये जाने योग्य भूमि की किस्म अब कृषि नहीं होकर औद्यौगिक हो चुकी है जिसके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का निर्णय किये जाने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अधिवक्ता वादीगण द्वारा जो न्यायिक उदाहरण प्रस्तुत किये है उनका भी हमारे द्वारा अवलोकन किया गया है, यह न्यायिक दृष्टान्त इस वादपत्र में लागू नहीं होते है। जमाबंदी के अवलोकन के अनुसार आराजी संख्या 247 का कुल रकबा 1.27 हैक्टर का है जिसमें से 1.18 हैक्टर भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की गई है शेष 0.09 हैक्टर भूमि आम रास्ते के लिए बिलानाम की गई है। अब वादीगण वादपत्र के अनुसार आपस में वादी संख्या 1 व वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:34:56 IST
Reason: SelfAttested

त. 2 के मध्य ही विभाजन चाहते है, किन्तु भूमि कृषि भूमि नहीं होकर औद्यौगिक संपरिवर्तित भूमि होने से न्यायालय द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रकरण सुने जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होने से वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।
अतः वाद वादीगण अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एतद् द्वारा प्रकरण कृषि भूमि के विभाजन हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक19.09.2023 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:34:56 IST
Reason: SelfAttested